इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ ए 3-31/2018/1/पांच (84) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

संशोधन

ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 117 में

(क) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके, के सम्बन्ध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए सिफारिश की है, के सम्बन्ध में **प्ररूप जीएसटीटीआरएएन-1** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अवधि तक, जो 31 मार्च, 2019 से आगे की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा ।";

(ख) उपनियम (4) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उपनियम (1क) के अनुसार **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1** में घोषणा फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 अप्रैल, 2019 तक **प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2** में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे ।";

(ii) नियम 142 के उपनियम (5) में, "धारा 76 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 125" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-31-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-31-2018-1-पांच (84), दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 29th September 2018

No. F A 3-31/2018/1/V (84) In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

AMENDMENTS

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,

(i) in rule 117,

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

> "(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the date for submitting the declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** by a further period not beyond 31st March, 2019, in respect of registered persons who could not submit the said declarationby the due date on account of technical difficulties on the common portal and in respect of whom the Council has made a recommendation for such extension.";

(b) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

> "Provided that the registered persons filing the declaration in **FORM GST TRAN-1** in accordance withsub-rule (1A), may submit the statement in **FORM GST TRAN-2** by 30th April, 2019.";

(ii) in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures "of section 76", the words and figures "or section 125" shall be inserted.

3. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 10th of September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.